4/14

A2
5

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – कैलाशचन्द्र शर्मा, आर.ए.एस.

आवेदनपत्र संख्या 04/2014
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. सुखचरणसिंह आयु 80 वर्ष एवं
2. मलूकसिंह आयु 65 वर्ष आत्मजन श्री मालासिंह, रायसिख, गांव सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर

.....आवेदकगण

बनाम

1. श्रीमती प्यारकौर धर्मपत्नी श्री मालासिंह,
2. दर्शनसिंह आत्मज श्री मालासिंह, रायसिख, चक 6 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. रणवीरसिंह एवं
4. जगवीरसिंह आत्मजन श्री मंगलसिंह, रायसिख, चक 6 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

.....अनावेदकगण

उपस्थिति– श्री तेजासिंह (आवेदकगण)
श्री ओमप्रकाश बत्तरा (अनावेदक–3,4)

दिनांक 05 फरवरी, 2016

– आदेश –

आवेदनपत्र के अनुसार चक 6 बी बड़ी तहसील जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 34/32 में अनावेदक संख्या 1 (आवेदकगण की माता) में 2.530 हिस्सा खातेदारी दर्ज है. जिसमें अनावेदक संख्या 2 के नाम पर 1.423 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 3, 4, एवं वादी संख्या 1 के नाम पर 1.423 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज है. अनावेदिका संख्या 1 को 100 हिस्सा कृषि भूमि अपने पति (आवेदकगण के पिता) से एवं 100 हिस्सा कृष्णि भूमि उसकी बहिन से दस्तबरदारी में पैतृक प्राप्त हुई थी. इस प्रकार अनावेदिका संख्या 1 के नाम पर दर्ज समस्त कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है. चूंकि आवेदकगण अनावेदिका संख्या 1 के पुत्र है जिनका प्रश्नगत कृषि भूमि में जन्म से ही हक व हिस्सा है जिसके लिये आवेदकगण घोषणा करवाने के अधिकारी हैं. श्री मालासिंह के पांच पुत्र एवं दो पुत्रियों कुल 7 एवं स्वयं अनावेदिका संख्या 1 समस्त 1/8 हिस्सा की सीमा तक घोषणा करवाकर कृषि भूमि अपने अपने नाम करवाने के अधिकारी हैं. अनावेकिा संख्या 1, अनावेदक संख्या 2 के प्रभाव में है जिसके द्वारा आवेदिका संख्या 1 को कभी भी बहला फुसला कर प्रश्नगत कृषि भूमि अपने नाम पर दर्ज करवायी जा सकती है. जिससे वाद बाहुल्ता बढेगी. एवं आवेदकगण को अपूर्णनीय क्षति पहुंच सकती है. इस प्रकार आवेदकगण द्वारा चक 6 बी बड़ी के खाता संख्या 34/32 में अनावेदिका संख्या 1 के नाम पर दर्ज 2.530 हैक्टर कृषि भूमि की बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072, नामान्तरकरण पंजिका के कम संख्या 206, ग्राम पंचायत, हिन्दूमलकोट द्वारा जारी वारिस प्रमाणपत्र की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2/6

अनावेदक संख्या 1 की तलबी हेतु जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर भी उपस्थित नहीं आने के परिणामतः आदेश दिनांक 6 मई, 2014 द्वारा अनावेदक संख्या 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी.अनावेदक संख्या 2 की तलबी हेतु जारी पंजीकृत नाटिस दिनांक 23 सितम्बर, 2014 को पंजीबद्व करवाया गया तथा दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 को रूक रूक कर निरन्तर आवाजें लगवाये जाने पर भी अनावेदक संख्या 2 द्वारा उपस्थित नहीं आने के परिणामतः आदेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 द्वारा अनावेदक संख्या 2 के विरूद्व भी एकपक्षीय कार्यवाही की गयी.

आवेदक श्री रणवीरसिंह अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित आकर आवेदनपत्र दिनांक 27 फरवरी, 2015 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 मय धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन कृषि भूमि चक 6 बी बड़ी के खाता संया 34/32 मुरब्बा नम्बर 30 किला नम्बर 1 से 25 में 6.325 हैक्टर संयुक्त खाता में से 2.530 हैक्टर कृषि भूमि श्रीमती प्यारकौर धर्मपत्नी श्री मालासिंह द्वारा श्री जगवीरसिंह एवं श्री रणवीरसिंह के पक्ष में पंजीबद्व उपहारपत्र दिनांक 10 मार्च, 2014 निष्पारिदत किया गया है जिसके आधार पर उनके नाम पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया है इस प्रकार आवेदनपत्र में पारित किसी भी प्रकार के आदेश का सीधा प्रभाव आवेदक के अधिकारों पर पड़ेगा. जिसकी पूरी पूरी जानकारी आवेदकगण को थी जिसके बावजूद भी आवेदक को प्रतिपक्षकार नहीं बनाया गया है. इस प्रकार आवेदक को विचाराधीन आवेदनपत्र में पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया.

अधिवक्ता आवेदकगण द्वारा जवाब आवेदनपत्र दिनांक 09 मार्च, 2015 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रश्नगत कृषि भूमि श्रीमती प्यारकौर के नाम पर दर्ज थी इसलिये माननीय न्यायालय के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम दिनांक 07 फवरी, 2014 को प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रस्तुत विविध आवेदनपत्र के नोटिस तामील हेतु जारी किये गये जिन्हें न लेकर प्रकरण को निष्प्रभावी करने हेतु बेनामी उपहारपत्र पंजीबद्व करवाया गया. प्रकरण श्रीमती प्यारकौर के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसमें अनुतोष भी श्रीमती प्यारकौर के विरूद्व ही चाहा गया है. वादपत्र के विचारणकाल में निष्पादित उपहारपत्र से आवेदकगण के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसलिये आवेदक आवश्यक पक्षकार नहीं होने के कारण आवेदनपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. क्योंकि जिस दिन प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उस दिन राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में श्रीमती प्यारकौर का ही नाम दर्ज था कोई उपहारपत्र उपलब्ध नहीं था. किन्तु वाद के विचारणकाल में ही उपहारपत्र निष्पादित होना बताया जा रहा है जिससे श्री रणवीरसिंह को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं. इस प्रकार आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

आवेदनपत्र पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 06 अप्रेल, 2015 द्वारा आवेदनपत्र स्वीकार किया जाकर श्री रणवीरसिंह को अनावेदक की सूचि में प्रतिस्थापित किया गया.

आवेदक श्री जगवीरसिंह अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित आकर आवेदनपत्र दिनांक 13 अगस्त, 2015 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 मय धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2
7

कृषि भूमि चक 6 बी बड़ी के खाता संया 34/32 मुरब्बा नम्बर 30 किला नम्बर 1 से 25 में 6.325 हैक्टर संयुक्त खाता में से 2.530 हैक्टर कृषि भूमि श्रीमती प्यारकौर धर्मपत्नी श्री मालासिंह द्वारा श्री जगवीरसिंह एवं श्री रणवीरसिंह के पक्ष में पंजीबद्व उपहारपत्र दिनांक 10 मार्च, 2014 निष्पारिदत किया गया है जिसके आधार पर उनके नाम पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया है इस प्रकार आवेदनपत्र में पारित किसी भी प्रकार के आदेश का सीधा प्रभाव आवेदक के अधिकारों पर पड़ेगा. जिसकी पूरी पूरी जानकारी आवेदकगण को थी जिसके बावजूद भी आवेदक को प्रतिपक्षकार नहीं बनाया गया है. इस प्रकार आवेदक को विचाराधीन आवेदनपत्र में पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया. जिस पर अधिवक्ता आवेदक द्वारा अनापत्ति हस्ताक्षरित करने पर आवेदनपत्र स्वीकार किया गया. तथा श्री जगवीरसिंह को अनावेदक के रूप में प्रतिस्थापित किया गया. यथा संशोधित प्रार्थनापत्र शीर्षक प्रस्तुत.

अनावेदक संख्या 3 की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 08 जुलाई, 2015 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार श्रीमती प्यारकौर के नाम कृषि भूमि का अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में उपहार पत्र निष्पादित किया गया है जिसकी अनुपालना में कृषि भूमि का नामान्तरकरण आवेदक संख्या 3 के नाम पर दर्ज हो चुका है. इस प्रकार अनावेदक संख्या 3 प्रश्नगत कृषि भूमि का खातेदार है. आवेदक के पक्ष प्रथम दृष्टया वादकरण नही है बल्कि प्रथम दृष्टया प्रकरण अनावेदक संख्या 3 के पक्ष में है. इस प्रकार आवेदनपत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया. अनावेदक संख्या 4 द्वारा जवाब आवेदनपत्र दिनांक 16 नवम्बर, 2016 को प्रस्तुत कर अनावेदक संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को ही दोहराया गया है.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु महत्वपूर्ण तीनों बिन्दुओं कमशः प्रथमदृष्टया वादकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति की विवेचना की गयी.

आदेश दिया जाता है कि अनावेदकगण, मूल वाद के निस्तारण तक, चक 6 बी बड़ी के खाता संख्या 34/32 में अनावेदिका संख्या 1 के नाम पर दर्ज 2.530 हैक्टर कृषि भूमि को बंधक, विकय अथवा किसी भी अन्य तरीका से अन्तरित करने से निषिद्व रहें.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 05 फरवरी, 2016 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(कैलाशचन्द्र शर्मा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर